कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– /26–11 (वाटर पाइप लाइन/आगरा) ,लखनऊः दिनांकः अप्रैल 25 ,2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय– जनपद आगरा में सूरसरोवर पक्षी विहार के ईको–सेन्सिटिव जोन/10 किमी0 दूरी के अन्तर्गत जल सम्पूर्ति (गंगा जल) परियोजना के अन्तर्गत कैलाश मन्दिर से जीवनी मण्डी, वाटर वर्क्स तक उ0प्र0 जल निगम, आगरा द्वारा वाटर पाइप लाइन बिछाये जाने की परियोजना में प्रयुक्त अतिरिक्त 10.22375 है0 आरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोगार्थ अनुमति/अनापत्ति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– निदेशक, पर्यावरण निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ का पत्रसंख्या–83/पर्या/2018, दिनांक 24.04.2018
महोदय,

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा अपने पत्र संख्या–4753/14–1, दिनांक 13.04.2018 द्वारा जनपद आगरा में संरक्षित क्षेत्र सूरसरोवर पक्षी विहार के ईको–सेंसिटिव जोन के अन्तर्गत, जल सम्पूर्ति (गंगा जल) परियोजना के अन्तर्गत कैलाश मन्दिर से जीवनी मण्डी, वाटर वर्क्स तक उ0प्र0 जल निगम, आगरा द्वारा वाटर पाइप लाइन बिछाये जाने की प्रस्तावित परियोजना के कम में वन्य जीव सम्बन्धी अनापत्ति निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है।

चूँकि उक्त परियोजना सूरसरोवर पक्षी विहार की सीमा से 10 किमी0 दूरी के अन्तर्गत अवस्थित होने के दृष्टिगत, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रसंख्या–6-10/2011WL, dated-15-12-2012 द्वारा जारी Guidance documents for taking up non forestry activities in wildlife habitat के पैरा–3.5.1– "Activities within 10 Kms from boundaries of National Parks and Wildlife Sanctuaries" में दी गयी व्यवस्था के कम में प्रस्ताव पर **Environmental Clearance** की **आवश्यकता है अथवा नहीं,** के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रसंख्या–607/26–11, दिनांक 20.04.2018 द्वारा निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ से वांछित अभिमत के सम्बन्ध में अपेक्षा की गयी।

प्रश्नगत प्रकरण में पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ने उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 24.04.2018 द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लेख किया गया है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–1533, दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिशिष्ट में वाटर पाइप लाइन बिछाये जाने की परियोजना का उल्लेख नहीं है। अतः भारत सरकार द्वारा **Environmental Protection Rules, 1986** के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 में इंगित **LIST OF PROJECT OR ACTIVITIES REQUIRING PRIOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE** हेतु इंगित श्रेणी में दी गयी वस्तुस्थिति के अनुसार परियोजना हेतु **Environmental Clearance** की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त के कम में प्रश्नगत प्रकरण में NBWL से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,

(एस0 के0 उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रसंख्या– 3579/ उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
3. महाप्रबन्धक, गंगाजल परियोजना इकाई, उ0प्र0, जल निगम, 4/4 संजय प्लेस, आगरा।

(एस0 के0 उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा
पत्रांक 4890/14-1 **आगरा, दिनांक** 01-05-2018

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, सा0 वा0 प्र0 आगरा, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रति हस्ताक्षरित

वन संरक्षक
आगरा वृत्त, आगरा

(मनीष मित्तल) 1/5/18
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा

अग्रेषित
प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय वन संरक्षक

Scanned by CamScanner